



कौशल विकास केन्द्र प्रसार शिक्षा निदेशालय



राजस्थान पशुचिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर

कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम

मुर्गी पालन पर उद्यमशीलता प्रशिक्षण

सात दिवसीय प्रशिक्षण
6 से 12 दिसम्बर, 2025



शुल्क भुगतान के लिए स्कैन करें



शुल्क भुगतान के लिए बैंक विवरण

खाता नाम : Directorate of Extension
Education, RAJUVAS, Bikaner
खाता संख्या : 669701700329
IFSC कोड : ICIC0006697
UPI आई.डी. : MSDIRECTOREXTEDURAJUVASBIKANER.eazypay@icici

- ❖ मुर्गी पालन में व्यावहारिक कौशल प्रशिक्षण
- ❖ सुव्यवस्थित मुर्गी फार्मों एवं अन्य पशु फार्मों का भ्रमण
- ❖ वेटेनरी विश्वविद्यालय, बीकानेर, पशुपालन विभाग तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के संस्थानों के अनुभवी विशेषज्ञों एवं वैज्ञानिकों द्वारा सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण
- ❖ प्रशिक्षण हेतु सुव्यवस्थित कौशल विकास केन्द्र जिसमें सम्मेलन कक्ष, भोजन कक्ष, आवासीय कक्ष एवं इंटरनेट सुविधा उपलब्ध
- ❖ सरकारी प्रमाण पत्र (सरकार की विभिन्न योजनाओं हेतु आवश्यक)
- ❖ सरकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी
- ❖ प्रशिक्षण हेतु पढ़न सामग्री की उपलब्धता

प्रशिक्षण शुल्क : रुपये 4000/-

मार्गदर्शन एवं परिकल्पना
डॉ. सुमंत व्यास
कुलगुरु, राजुवास, बीकानेर

पाठ्यक्रम निदेशक
डॉ. राजेश कुमार धूड़िया
निदेशक प्रसार शिक्षा
0151-2200505

प्रशिक्षण समन्वयक
डॉ. अरुण कुमार झीरवाल
वरिष्ठ सहायक आचार्य
प्रभारी, पोल्ट्री विज्ञान विभाग,
राजुवास, बीकानेर-9461300587

स्थान : कौशल विकास केन्द्र, राजस्थान पशुचिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर

प्रसार शिक्षा निदेशालय

राजस्थान पशुचिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर

प्रशिक्षण का उद्देश्य

- ❖ मुर्गी पालन के क्षेत्र में बुनियादी जानकारी प्रदान करना तथा मुर्गी फार्म स्थापित करने की वैज्ञानिक जानकारी देना।
- ❖ मुर्गी की विभिन्न नस्लों, आहार, आवास और स्वास्थ्य देखभाल प्रबंधन के बारे में वैज्ञानिक प्रशिक्षण प्रदान करना।
- ❖ सरकारी योजनाओं, व्यावसायिक मुर्गी फार्म के लिए परियोजना निर्माण के बारे में जागरूक करना।

प्रशिक्षण की सामान्य नियम और शर्तें

- ❖ प्रशिक्षण हेतु इच्छुक युवा, प्रगतिशील किसान, पशुपालक, उद्यमी, स्टार्ट-अप एवं छात्र आवेदन कर सकते हैं।
- ❖ इच्छुक अभ्यर्थी द्वारा विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन पत्र भरकर आवेदन करना होगा।
- ❖ केवल भारतीय नागरिक, किसी भी राज्य से इस प्रशिक्षण हेतु आवेदन कर सकते हैं।
- ❖ प्रत्येक प्रतिभागी से रूपये 4000/- का प्रशिक्षण शुल्क लिया जाएगा, जो कि निदेशक प्रसार शिक्षा, राजवास, बीकानेर के बैंक खाते में जमा कराना होगा।
- ❖ प्रशिक्षण शुल्क केवल बैंक ट्रांसफर के माध्यम से ही स्वीकार किया जाएगा।
- ❖ आवास और भोजन का शुल्क अतिरिक्त होगा, जिसका भुगतान प्रतिभागियों को मौके पर ही करना होगा।
- ❖ प्रशिक्षण शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा।
- ❖ एक बार में अधिकतम 25 प्रतिभागियों का चयन किया जाएगा, जो पंजीकरण की तिथि और शुल्क के आधार पर किया जाएगा (पहले आओ पहले पाओ के आधार पर चयन किया जाएगा)। शेष आवेदकों को अगली प्रशिक्षण बैच में आमंत्रित किया जाएगा, जो प्रतिभागियों की संख्या पर निर्भर करेगा।
- ❖ प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागी का संस्थान में रहना आवश्यक है, लेकिन यह अनिवार्य नहीं है। वे चाहे तो संस्थान के बाहर भी अपने आवास और भोजन की वैकल्पिक व्यवस्था कर सकते हैं।
- ❖ प्रशिक्षण लेने वाले प्रार्थी के आने-जाने के खर्च को स्वयं द्वारा वहन किया जायेगा।
- ❖ प्रशिक्षण कार्यक्रम से संबंधित सभी अधिकार निदेशक प्रसार शिक्षा, राजवास, बीकानेर के अधीन सुरक्षित रहेंगे।

नोट: विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रशिक्षण की तिथि प्रसारित हो जाने के बाद ही प्रशिक्षण के लिए आवेदन व शुल्क जमा करें, अन्यथा आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।